



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

संख्या :: 126/01/E-01/DR/PCS/2025-26

दिनांक :: 30 जुलाई, 2025

प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-2025 के सम्बन्ध में तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित प्रार्थीगण के प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सम्यक् रूप से विचारित करते हुए तालिका के स्तम्भ-03 के अनुसार निम्नवत् निस्तारित कर दिया गया है:-

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम एवं प्रत्यावेदन का दिनांक	निस्तारण आदेश
1	2	3
1	सुश्री प्रियंका, दिनांक 19 जून, 2025	अभ्यर्थिनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत Gender में त्रुटि सुधार संबंधी अनुरोध को स्वीकार कर Male के स्थान पर Female मान्य करते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
2	सुश्री प्रसिद्धि अनमोल कौर, दिनांक 23.06.2025	
3	श्री अनुराग सिंह, दिनांक 19 जून, 2025	अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत Gender में त्रुटि सुधार संबंधी अनुरोध को स्वीकार कर Female के स्थान पर Male मान्य करते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
4	सुश्री पूजा फर्त्याल, दिनांक 29.06.2025, 02.07.2025 एवं 04.07.2025	अभ्यर्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत Gender में त्रुटि सुधार संबंधी अनुरोध को स्वीकार करते हुए Male के स्थान पर Female मान्य किया गया है, परन्तु अभ्यर्थिनी द्वारा प्रत्यावेदन में उचित आरक्षण श्रेणी के सापेक्ष विचारित किये जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थिनी को उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
5	सुश्री सुबिया बेग, दिनांक 07 जुलाई, 2025	अभ्यर्थिनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत श्रेणी (Category) के सापेक्ष EWS Category के स्थान पर General Category अंकित हो जाने के त्रुटि सुधार एवं उन्हें EWS Category के सापेक्ष विचारित किये जाने संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
6	सुश्री चित्रा पाण्डेय, दिनांक 20 जून, 2025	अभ्यर्थिनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत त्रुटिवश आरक्षित उपश्रेणी, राज्य आन्दोलनकारी का विकल्प चयनित कर लिये जाने के त्रुटि सुधार संबंधी अनुरोध को

		स्वीकार कर अभ्यर्थिनी को आरक्षण की उक्त उपश्रेणी के अन्तर्गत न मानते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
7	सुश्री जीनत राव, दिनांक 28.06.2025	अभ्यर्थिनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत त्रुटिवश उनके नाम Rao zeenat के स्थान पर Rao एवं उनके पिता के नाम Rao Fatahyab के स्थान पर उनका नाम अंकित जाने के त्रुटि सुधार संबंधी अनुरोध को स्वीकार करते हुए तदनुसार उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।